

10/09/25 आज यह पत्रावली पेश हुई (वकील प्रार्थी उप.)
पूर्व. पत्रावली बारचे बहस दिनांक 10/11/25
को पेश हो।

10-11-25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। पूर्व. वाले बहस
पत्रावली दिनांक 19.11.25 को पेश हो।

19.11.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। बहस सुनी गई।
इस प्रकरण से संबंधित कावा डिफ़ी हो चुका है।
अतः इस प्रार्थी पत्र को चलाये जाने का कोई
औचित्य नहीं है।

अतः प्रार्थी पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा
212 R.A. को इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है तथा न्यायालय हाजि से पूर्व से जारी सुनवा
सुनान आदेश दिनांक 22.07.2025 को
निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फंसल सुमार होकर नंबर
से कम हो तथा संलग्न प्रल बाद हो।

(राजेश्वर प्रसाद मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर) राज.